न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 183 / 2020 तारीख दायरा 17.09.2020

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र लटूरलाल जाति खटीक निवासी कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. कस्तूर बाई पत्नि लटूरलाल जाति खटीक निवासी कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा।
2. छोटी बाई पुत्री कान्हा जाति चमार निवासी ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर टी एक्ट

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार विजय (वकील वादीगण) दिनांक :— 03.03.2021

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 169 रकबा 1.33 हैक्टर ग्राम जोगडी तहसील सांगोद में स्थित है, जो कि साबिक खसरा नं0 97 की 8 बीघा 4 बिस्वा के रूप में रिकार्ड 2003 से पूर्व रिकार्ड रही है। उक्त आराजी 8 बीघा 4 बिस्वा पूर्व खातेदार कान्हा पुत्र पन्ना जाति चमार निवासी जोगडा द्वारा काश्त की जाती रही है। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान बाद इन्तकाल दर्ज रिकार्ड हुये उन वारिसान द्वारा करीब 12 वर्ष पूर्व वादी कम 1 के पिता एवं वादी कम 2 के पति स्वर्गीय लटूरलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी तथा कब्जा संभाला एवं उक्त आराजी को काश्त करवाने लगे। स्व. लटूरलाल की मृत्यु के बाद उनके वारिस वादीगण विरासतन उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:25 IST
Reason: SelfAttested

हैं। प्रतिवादी कम 2 छोटी बाई पुत्री कान्हा जाति खटीक निवासी सांगोद गलत दर्ज है, वह जाति चमार निवासी जोगडा है। जिसे भी दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी कम 2 करीब 15 वर्षों से कहीं चली गई, जिसको काफी ढूंढने से भी नहीं मिल पाई है। ऐसे में उसकी मृत्यु होना संभव है। उसके कोई औलाद व वारिस नहीं होने से शेष सहखातेदार उसके वारिस हैं तथा उसके हित की भूमि के भी खातेदारी अधिकारी हो चुके थे तथा उन्होंने सम्पूर्ण आराजी का विकय कर कब्जा सम्भला दिया था। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी कम 2 के हक सहित उक्त सम्पूर्ण आराजी के खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने के पूर्ण अधिकारी है।

उक्त आराजी के दक्षिण व पश्चिम में सरकारी भूमि खसरा नं0 168 स्थित है। वादीगण द्वारा जितनी भूमि 8 बीघा 4 बिस्वा अर्थात 1.33 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मौके पर भी उतनी ही भूमि काश्त की जा रही है अर्थात खाते के मुताबिक भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त है। किन्तु पडौसी खातेदार द्वारा स्वयं की पुरानी जानकारी के अनुसार वादी कम 1 को बताया गया कि आपसी भूमि खाते में व मौके पर तो पूरी है किन्तु राजस्व नक्शा छोटा बना हुआ है। तथा नक्शे के हिसाब से जमीन खाते कम होती है। तब वादी सं.1 द्वारा सीमाज्ञान हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किया। पटवारी हलका द्वारा मौके पर खाते के अनुसार पूरी काश्त होना पाया किन्तु जब नक्शे को नापा गया तो उसके हिसाब से नक्शा 0.82 हैक्टर क्षेत्रफल के बराबर बना हुआ है। पटवारी हलका द्वारा अपनी रिपोर्ट लगा कर पेश कर दी गई तथा सीमा ज्ञान नहीं कराया फिर वादीकम 1 द्वारा पटवार मंडल हींगी की रिपोर्ट दिनांक 06.06.2020 की नकल निकलवाई गई जिसमें पटवारी हलका द्वारा जमाबंदी व नक्शे में अन्तर के कारण सीमाज्ञान करवाया जाना सम्भव नहीं है, आलेखित किया गया है।

अतः उक्त वादपत्र प्रस्तुत कर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिकी सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 169 की 1.33 हैक्टर ग्राम जोगडा की आराजी के रिकोर्ड में प्रतिवादी कम 2 का नाम दुरूस्त किया जावें तथा वादीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित कर उसके राजस्व नक्शे को दुरूस्त करवाने के वादीगण के अधिकार की घोषणा जारी की जावें। उक्त आराजी के राजस्व नक्शे को खाते में दर्ज आराजी के मुताबिक 0.82 हैक्टर के बजाय 1.33 हैक्टर क्षेत्रफल का दुरस्त करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जवाब पेशी का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं.2 की तलबी जरिये समाचार पत्र की गई, बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादी सं.2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी सं.1 का जवाब बंद किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:25 IST
Reason: SelfAttested

वकील अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी सं.2 का हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं.2 के साथ गंगा बिशन पुत्र देवलाल बैरवा, राजेन्द्र, रामावतार, रामभरोसी वारिसान नाथूलाल अन्य सहखातेदार का भी हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं. 2 के परिवार के सदस्यों द्वारा संपूर्ण आराजी वादी सं. 1 व 2 को बेचान कर दी गई थी। उन्होंने कथन किया कि प्रतिवादी सं.2 करीब 15 वर्षों से कहीं चली गई है, जिसका 15 वर्षों से पता नहीं चल रहा है। ऐसे में उसकी मृत्यु होना भी संभव है, यह भी संभव है कि प्रतिवादी सं.2 के कोई औलाद/वारिस न हो। इस कारण शेष खातेदार ही वारिस हैं। परन्तु पत्रावली व रिकार्ड का अध्ययन करने पर यह तथ्य प्रकट हुआ है कि छोटी बाई पुत्री कान्हा का विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा निहित था तथा छोटी बाई के अन्य पारिवारिक सदस्यों रामभरोसी, राजेन्द्र आदि अन्य ने छोटी बाई की अनुपस्थिति में उसका हिस्सा भी वादीगण को विक्रय कर दिया था। चूंकि छोटी बाई के द्वारा अपना हिस्सा नहीं बेचा गया था इसलिए छोटी बाई का नाम राजस्व रेकार्ड में छोटी बाई के हिस्से तक यथावत चलता आ रहा है, जहां तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि छोटी बाई की मृत्यु हो सकती है या छोटी बाई के कोई औलाद नहीं हो सकती है, इस संबंध में वादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही सक्षम न्यायालय का इस प्रकार का कोई ओदश पेश किया है कि जिसमें गुमशुदगी के 7 वर्ष बाद छोटीबाई को मृत घोषित कर दिया गया हो। यदि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर भी दिया जाता तो भी कानूनन केता वादीगण को छोटी बाई प्रतिवादी सं.2 जिसने की अपना हिस्सा कभी केता वादीगण को विक्रय किया ही नहीं, केता वादीगण के हिस्से दर्ज नहीं किया जा सकता था। केता वादीगण द्वारा छोटी बाई के परिवार के अन्य सदस्यों से उनके हिस्से तक की भूमि कय की गई थी इसलिए उनके हिस्से तक का ही नामांतरण दर्ज किया गया है। परन्तु चूंकि प्रतिवादी सं.2 गुमशुदा है एवं उसका कोई भी वारिस पैरवी के लिए नहीं आया है। अतः लैन्ड रिकार्ड रूल्स 1957 की धारा 138(2) के अनुसार प्रतिवादी सं.2 के 1/6 हिस्से की आराजी के संबंध में तहसीलदार सांगोद जांच करने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही करें। जहां तक रकबबरारी का प्रश्न है और नक्शा दुरूस्ती का प्रश्न है तो वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि किसका रकबा नक्शे में कम करके उसका रकबा [illegible] बढाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण अधिवक्ता अपना [illegible] सिद्ध [illegible] पूर्णतः असफल रहे। अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज कि[illegible] जाता है। वाद व्यय वादीगण स्वयं वहन करें। उक्तानुसार डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:25 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 183/2020 | तारीख दायरा 17.09.2020

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र लटूरलाल जाति खटीक निवासी कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. कस्तूर बाई पत्नि लटूरलाल जाति खटीक निवासी कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा।
2. छोटी बाई पुत्री कान्हा जाति चमार निवासी ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार विजय (वकील वादीगण) | दिनांक :– 03.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:25 IST
Reason: SelfAttested

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कदई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार विजय मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण अधिवक्ता अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहे। अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। वाद व्यय वादीगण स्वयं वहन करें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:25 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद